**न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद संख्या–316/2014**

चम्पा कुअँर एवं अन्य.........................................................................वादीगण
बनाम
जितेन्द्र पटेल..................................................................................प्रतिवादी

**09.02.2021** उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से एक आवेदन दिनांक 09.09.2020 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 के तहत दाखिल किया गया है। जिसका प्रतिउत्तर वादीगण की ओर से दिनांक 22.01.2021 को दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–1 का अपने आवेदन में कहना है कि बयान तहरीरी में टाईपिंग दोष एवं असावधानी के कारण बयान तहरीरी में कुछ गलती हो गई है प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है तथा वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा एवं वादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः संशोधन आवेदन स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया है।

वादीगण का अपने प्रतिउत्तर में कहना है कि प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं तथा खारिज होने योग्य है। यह कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के साक्ष्य में चल रहा है तथा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक नहीं है तथा इससे वाद के प्रकृित में बदलाव हो जायेगा। ऐसी दशा में उनका आवेदन खारिज किया जाए।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या–1 अपने बयान तहरीरी में जो संशोधन करना चाहते है वह औपचारिक है तथा उससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसी दशा में प्रतिवादी संख्या–1 का आवेदन न्याय हित में 500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत बयान तहरीरी में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 01.03.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)